रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 28, 1968/आश्विन 6, 1890

No. 189] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28, 1968/ASVINA 6, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 28th September 1968

Tariff Commission Review Committee

No. 26(2)-Tar/67.—The Government of India in the Ministry of Commerce, under their Resolution No. 26(1)-Tar/63, dated the 19th February, 1966, appointed a Committee of Inquiry under the Chairmanship of Dr. V. K. R. V. Rao, then Member, Planning Commission and now Minister for Transport and Shipping, with the following terms of references :—

(i) to review the working of the Tariff Commission, Bombay since its inception in 1952;

(ii) to suggest amendments in the Tariff Commission Act, 1951 in order to effect improvements;

(iii) to review the policy of protection to industries taking into account the present restrictions on imports; and

(iv) to examine and suggest that other functions can be entrusted to the Tariff Commission having regard to the requirements of development planning in the country and to recommend changes in the constitution and functions of the Commission.

2. The Committee submitted its Report to Government on the 31st August, 1967.

3. The conclusions and recommendations of the Committee are contained in Chapter VI of the Report. These have been considered by Government, and the decisions taken thereon are set out in the Annexure.

4. Government wish to place on record their appreciation of the valuable work done by the Committee.

ANNEXURE

Sl. No.	Recommendation of the Tariff Commission Review Committee	Decision of the Government
1	2	3
1	The essence of the role of the Tariff Commission lies in its selectivity, in its picking of the right industries, in its recommending the correct measures which will enable the industries to grow with the minimum burden on the consumers and in its ensuring that the industries grow up strong and vigorous and become mature enough to face the world on their own.	Noted.
2	The Committee would like to stress the need for sticking to the normal procedure before any decisions are taken by Government to impose protective duties.	Government agree in principle that the normal procedure should ordinarily be observed, but there may be occasions when economic developments will necessitate immediate action without reference to the Commission. Government, therefore, consider that it will not be appropriate to tie their hands by amending the Act as proposed by the Committee.
3	The Commission has played a very useful role in promoting the healthy growth of industries in India.	Noted.
4	Each industry has its own problems. It is not possible to fix a uniform rate of return for all industries and the rate is bound to vary from industry to industry, depending on its nature, the risks involved etc., the industry's need for funds, and from period to period, depending on the current bank rate, the capital market etc. Under the circumstances, attention has to be paid to pragmatic considerations in determining the rate of return.	Under consideration.
5	While calculating depreciation the Tariff Commission may deviate from Income-Tax practice where actual working practice justifies such a course.	Under consideration.

1	2	3
6	Each claim of rehabilitation allowance should be examined on its own merits in the light of the principles laid down by the Commission in 1961 in regard to the fair price payable to cement producers.	Accepted.
7	Since our economy is passing through a phase of inflationary pressures provision for contingency allowance should be avoided while fixing prices and the industry should be able to absorb small increases in costs. However, an escalation clause is in order in suitable cases for any major increase in costs which is beyond the control of the management.	Under consideration.
8	If the Commission is to function effectively and command respect from industry, a healthy convention should be built up whereby the recommendations of the Commission are usually accepted by Government, departures therefrom being made only under exceptional circumstances.	Accepted, subject to the qualification suggested, namely that departures may be made under exceptional circumstances.
9	Units under protection and price control should maintain their cost data in a scientific way. If they are not able to do so, arrangements should be made for the Commission to assist them in this process. For implementing this scheme costing staff of the Commission may be augmented to the extent necessary.	Government agree that the cost data should be maintained in a scientific way. The Company Law provides for the compulsory maintenance of cost records by any specified class of companies engaged in production etc. The Company Law Board will in consultation with the Commission decide upon a scientific method of maintenance of cost records and enforce the maintenance of such records.
10	In their own interest the industries and other concerned parties should extend their full co-operation to the Commission to enable it to function smoothly. It is also worth considering whether some legal obligation should not be imposed on the producing units concerned for ensuring such co-operation.	The attention of all concerned is invited to the need for giving full co-operation to the Commission. The question of taking further legal powers to ensure co-operation will be examined after some time in he light of the experience gained.
11	Reports of the Commission on price inquiries should normally be completed within six months from the date of reference. In exceptional cases the period may be extended to ten months. The Committee is not in favour of the Commission submitting interim reports on a matter like price fixation. To prove the Committee's recommendation workable in practid, additional costing or other supporting staff that the Commission may require in connection with any price inquiry should be made available to all promptly.	Accpted. On the question of staff, Government have taken note of the position and will consider any requisition from the Commission sympathetically, consistenet with the requirements of economy.
12	Government should normally announce their decision on the Commission's reports within the stipulated period provided in the Tariff Commission Act, that is, three months.	Accepted.

1	2	3
13	As an initial follow-up of the recommendations of the Committee's Interim Report, Government asked the Commission to examine on a sample basis the extent of protection available to two de-protected industries. The Committee feels that it would be useful to have similar quick examination made of other de-protected industries which have been suggested for such inquiry in its Interim Report.	Accepted. Government are of the view that the principle of carrying out a review of de-protected industries two to three years after deprotection is a useful one and may be adopted as a regular measure.
14	In view of recent relaxations in imports and other changes in the economic situation in the country, tariffs have again acquired importance as an instrument of plan policy.	Noted.
15	Since the benefits of de-valuation in terms of price-competition with imports, accrue also to other industries which have so far not been subjected to a Tariff Commission inquiry, it is necessary that Government may now initiate early action on the preliminary scrutiny of thee industries as contemplated in the Committee's Interim Report. On the basis of such scrutiny Government may refer selected industries to the Tariff Commission for examining their case for protection.	Accepted. Selection of the industries to be so reviewed will be made by Government in the various Ministries concerned.
16	The protection inquiries will enable both the Government and industrial units to identify the scope for adopting cost reduction policies in respect of current production as well as of future expansion. The discipline imposed as a result of either the initial or the review inquiry by the Commission should itself be of assistance in preventing *ad hoc* or indiscriminate raising of costs.	Noted.
17	The Commission should continue to be responsible for examining the cases for grant of protection as well as for continuance or modification of protection as it has been doing hitherto. The present policy regarding protection embodied in Sections 11 to 15 of the Tariff Commission Act needs no modification.	Accepted, with the qualification that (1) Government will not be statutorily bound to refer each and every case to the Commission; (2) a post-deprotection enquiry within 2 to 3 year should be adopted as a regular feature.
18	A suitable Government agency other than the Tariff Commission should be required to look into cost and price aspects of *de facto* and deprotected industries on a regular and continuous basis. However, it is already open to Government to refer to the Commission such of these industries as in their opinion require a detail examination by the Commission on the lines mentioned in paragraphs 95 and 96 of the Report.	So long as no other agency is set up, Government will utilise the experience and the assistance of the Commission for this purpose.
19	All *suo motu* powers vested in the Commission under Section 73 of the Tariff Commission Act should continue.	Accepted with the clarification that "protection" in this context is to bet aken as referring to tariff protection, and that the *suo motu* powers will not extend to industries which are "protected" by import control.

1	2	3
20.	Whenever Government desire to impose statutory control over prices of industrial products and non-agricultural raw materials, they should refer all such cases to the Tariff Commission for inquiry and report. However where certain circumstances affecting cost of production have changed after the Commission submitted its reports, Government may revise the prices after informal consultations with the Chairman of the Commission. Further if circumstances of any particular case require immediate fixation of prices, Government may fix an interim price by an executive order subject to a review by the Commission. In any case, price inquiries should not be referred to *ad-hoc* Committees.	(*i*) Government agree that normally such cases should be referred to the Commission. Government should not however be precluded from setting up *ad hoc* committees in special circumstances. Where it is found necessary to appoint such *ad hoc* committees, a convention should be established to associate the Chairman or a Member of the Commission with such Committees. (*ii*) Government agree that informal consultation with the Chairman of the Commission may be resorted to where such price fixation is effected without having a formal enquiry. (*iii*) Government consider that it is not necessary to have an immediate *post facto* review by the Commission in cases where Government have fixed prices without a formal enquiry because of the urgency. However, the periodical review in such cases could be entrusted to the commission.
21.	The Committee is generally in agreement with the procedure and practice followed by the Commission for price fixation.	Noted.
22.	The Commission should be vested with *suo motu* powers enabling it to review industries, prices of the products of which are statutorily controlled by Government after reference to the Commission.	Government do not consider it necessary to invest the Commission with such *suo motu* powers, as they can seek the advice and assistance of the Commission whenever it is considered necessary.
23.	Government may find it useful to utilise the expertise and quasijudicial nature of the Commission to thoroughly investigate specific problems to an export industry.	Accepted.
24.	The present arrangements of reviewing public sector undertakings by the Parliamentary Committee on Public Undertakings and the Bureau of Public Enterprises appear to be adequate. However, the Commission should continue to be empowered to review any Public sector under taking if it is part of an industry which is being inquired into either for protection or for price fixation.	Accepted. The Commission should obtain the specific concurrence of Government before inquiring into any Defence undertaking.
25.	It is appropriate that the Ministry of Finance while reviewing and analysing other aspects governing fixation of customs and excise duties, should keep in view the protection policy pursued by Government on the recommendations of the Commission from time to time. If necessary, they may consult the Chairman of the Commission before fixing the rates of duties on protected and price controlled commodities.	Noted.

1	2	3
26.	Cost reduction vigilance studies assume considerable importance in an economy ridden with inflationary pressures such as are being witnessed in our country today. The Committee is of the opinion that such studies may be attempted by an appropriate agency other than the Tariff Commission as an integral part of Government's watch over prices.	Government have noted the observation that cost reduction vigilance studies have assumed considerable importance. They agree that such vigilance would not be an appropriate function of the Commission. However, Government consider that while making recommendations the Commission should also to the extent possible, recommend measures for cost reduction. The Commission may also indicate in its recommendations the extent to which the high costs of a particular industry are due to factors which can be controlled by the industry.
27.	Government should advise its various departments to keep the Commission informed on matters relating to any industry which the Commission has inquired into or other closely allied industries.	Accepted. The Departments will inform the commission of matters relating to such industries in order to enable the Commission to keep this information in view while conducting examination of other industries or of these industries in case any future reference regarding these industries is made to the Commission by Government.
28.	The Committee anticipates that the Commission will be fully occupied if all protection and price cases are referred to it and the Commission keeps a close and continuous watch over their progress after Government have taken decisions on protection or price, as the case may be. The Committee is not therefore in favour of any further expansion in the functions of the Commission.	While agreeing generally, Government consider that it would be useful to have a residual clause in the Tariff Commission Act, 1951, enabling them to remit to the Commission inquiries into specific questions connected with any industry, particularly where factors such as the cost of production or the competitive efficiency of the industry are involved.
29.	Considering the highly specialised nature of the Commission's work the committee is of the opinion that the Tariff Commission should be a compact body and its membership should not exceed five. Additional Members not exceeding two may be appointed, if necessary, for special inquiries and for specific period for which there is already a provision in Clause 3 of the present Tariff Commission Act. The Committee is not in favour of the appointment of part-time members on the Commission.	Noted.
30.	It is desirable that one of the Members of the Tariff Commission should be an expert in cost accountancy and another, aperson with wide managerial experience.	This recommendation will be implemented to the extent possible, taking into account the availability of suitable persons. It is not considered necessary to make a specific amendment of the Tariff Commission Act for this purpose.

1	2	3
31.	The ranking of the Chairman and Members of the Tariff Commission in the warrant of precedence issued by the Government of India may be raised. It is desirable that the office of the Tariff Commission be upgraded from a subordinate office to an attached office in order to increase its administrative efficiency.	These two recommendations will be further considered by Government and decisions taken in accordance with the general principles applicable to such cases.
32	If the recommendations as well as other suggestions regarding the functions and the constitution of the Tariff Commission are accepted relevant changes will have to be made in the present Tariff Commission Act. The broad lines on which amendment may be made are indicated in paragraph 115 of the Report.	Having regard to the decisions indicated above, Government will consider whether the amendment of the Tariff Commission Act, 1951, is necessary, and if so, legislation will be undertaken in due course.

ORDER

Ordered that the copy of the resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for General Information.

H. K. KOCHAR, Joint Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 1968

संकल्प

टैरिफ आयोग पुनरीक्षण समिति

सं० 26(2)—टैरिफ/67—भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय ने अपने संकल्प सं० 26(1)—टैरि/63 दिनांक 19 फरवरी, 1966 के अधीन योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य और इस समय परिवहन और जहाजरानी मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की थी जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

(एक) टैरिफ आयोग की कार्य-प्रणाली का 1952 में उसका आरम्भ होने से ले कर अब तक का पुनरीक्षण करना ;

(दो) सुधार करने की दृष्टि से टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 में संशोधनों के सुझाव देना ;

(तीन) आयातों पर वर्तमान प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए, उद्योगों को संरक्षण देने की नीति का पुनरीक्षण करना ;

(चार) जांच कर के यह सुझाव देना कि देश में विकासशील आयोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टैरिफ आयोग को कौन से अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं, और आयोग के गठन तथा कार्यों में परिवर्तन करने की सिफारिश करना ।

2. समिति ने अपना प्रतिवेदन 31 अगस्त, 1967 को सरकार को प्रस्तुत किया ।

3. समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें प्रतिवेदन के अध्याय छः में दिये गये हैं । इन पर सरकार ने विचार किया है और उन पर किये गये विनिश्चय अनुबन्ध में दिखाए गये हैं ।

4. समिति द्वारा किए बहुमूल्य कार्य के प्रति अपनी सराहना को सरकार अभिलेखबद्ध करना चाहती है ।

अनुबन्ध

क्रमांक	टैरिफ आयोग पुनरीक्षण समिति की सिफारिश	सरकार का विनिश्चय
1	2	3
1	टैरिफ आयोग के कार्यों का सार इसकी चयनशीलता में निहित है, वह उपयुक्त उद्योगों को चुनता है, उपयुक्त उपायों की सिफारिश करता है जिससे उपभोक्ताओं पर कम से कम भार डाल कर उद्योग अपना विकास कर सकें, और यह भी सुनिश्चित करता है कि उद्योग संशक्त तथा गतिशील बनें और इतने परिपक्व हो जायें कि वे अपने ही बल पर विश्व में प्रतिस्पर्धा कर सकें ।	नोट कर ली गयी ।
2.	समिति इस बात पर बल देना चाहती है कि सरकार द्वारा संरक्षण शुल्क लगाने का कोई विनिश्चय करने से पूर्व सामान्य क्रियाविधि का पालन करना अपेक्षित है ।	सरकार सिद्धांततः इस बात से सहमत है कि साधारणतः सामान्य क्रियाविधि का अनुपालन होना चाहिए परन्तु ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब कि थे आर्थिक परिवर्तनों के कारण आयोग को भेजे बिना तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो सकता है । अतः सरकार का विचार है कि समिति की सिफारिश के अनुसार अधिनियम में संशोधन करके अपने हाथों को बांध लेना उचित नहीं होगा ।

1	2	3
3.	भारत में उद्योगो के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहन देने में आयोग ने अत्यन्त उपयोगी योगदान दिया है ।	नोट कर ली गयी ।
4.	प्रत्येक उद्योग की अपनी अपनी समस्याएं है । सभी उद्योगों के लिए एक सम लाभ की दर निश्चित करना सम्भव नही है और दर प्रत्येक उद्योग के मामले में अवश्यमेव भिन्न भिन्न होती है और यह उसके स्वरूप, उसमें अन्तर्निहित जोखिमो आदि, उद्योग की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं और भिन्न भिन्न अवधियों में, विद्यमान बैंक दर और पूंजी बाजार आदि पर निर्भर करती है । इन परिस्थितियों में लाभ की दर निश्चित करते समय तथ्यात्मक दृष्टिकोण का ध्यान रखना होगा ।	विचाराधीन है ।
5.	मूल्यह्रास का आकलन करते समय टैरिफ आयोग आयकर प्रणाली से भिन्न प्रणाली अपना सकता है जहा ऐसा करना वास्तविक कार्य-प्रणाली के अनुसार युक्तिसंगत हो ।	विचाराधीन है ।
6	सीमेंट उत्पादकों को देय उचित मूल्यो के सम्बन्ध मे आयोग द्वारा 1961 में निर्धारित सिद्धान्तो के प्रकाश मे पुनः स्थापन भत्ते के प्रत्येक दावे पर, उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाना चाहिये ।	स्वीकृत ।
7.	चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के दबावो की अवस्था से गुजर रही है अतः मूल्य नियत करते समय आकस्मिक छूट की व्यवस्था को हटा देना चाहिये और उद्योगो को लागत मे मामूली वृद्धि को सहन करने में समर्थ होना चाहिये ।	विचाराधीन है ।

1	2	3
	परन्तु लागत में भारी वृद्धि होने पर जो प्रबन्धकों के नियंत्रण से बाहर हो, उपयुक्त मामलों में एक वृद्धि खण्ड रखना ठीक ही है ।	
8.	यदि आयोग को कारगर ढंग से कार्य करना है और उसे उद्योग का आदर प्राप्त करना है तो एक स्वस्थ परम्परा बनाई जानी चाहिए जिसके अनुसार आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा बहुधा स्वीकार कर ली जायें और उन मे अन्तर केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही किया जाये ।	सुझाई गई शर्त 'अर्थात् उनमें अन्तर केवल अपवादस्वरूप ही किया जाये', को रखते हुए स्वीकार कर ली गयी ।
9.	संरक्षण प्राप्त तथा मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत कारखानों को अपने लागत-आंकड़े वैज्ञानिक ढंग से रखने चाहिये । यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो आयोग के लिये इस प्रक्रिया मे उनकी सहायता करने के प्रबन्ध किये जाने चाहियें । इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आयोग के लागत अमल को यथा-सम्भव बढ़ाया जाये ।	सरकार सहमत है कि लागत आंकड़े वैज्ञानिक ढंग से रखे जाने चाहिये । उत्पादन में लगे हुए समवायों के किसी भी विशिष्ट वर्ग के लिए लागत रिकार्डों को अनिवार्यतः रखने का समवाय विधि मे उपबन्ध है । समवाय विधि बोर्ड लागत रिकार्डों को रखने के वैज्ञानिक ढं के सम्बन्ध में आयोग के परामर्श से विनिश्चय करेगा और ऐसे रिकार्डों को रखवाने की व्यवस्था करेगा ।
10.	उद्योगों तथा अन्य सम्बद्ध पक्षों को अपने हित को ध्यान में रखते हुए आयोग को पूरा पूर सहयोग देना चाहिये ताकि वह सुचारू रूप से कार्य कर सके । इस बात पर भी विचार करना उचित है कि ऐसे सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध उत्पादक कारखानों पर कोई कानूनी बाध्यता क्यों न लगा देनी चाहिये ।	सभी सम्बद्धों का ध्यान आयोग को पूरा पूरा सहयोग देने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया जाता है । कुछ समय के बाद प्राप्त अनुभव के आधार पर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

1	2	3
11.	मूल्य सम्बन्धी जाँच पर आयोग के प्रतिवेदन सामान्यतः उन्हें जाँच का कार्य सौंपे जाने की तारीख से छः महीने के भीतर पूरे कर दिये जाने चाहिएं । अपवादस्वरूप मामलों में यह अवधि दस महीने तक बढ़ायी जा सकती है । समिति, मूल्य निर्धारण जैसे मामले पर आयोग द्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन दिये जाने के पक्ष में नहीं है । समिति की सिफारिश को व्यवहारिक रूप में कार्यकारी बनाने के लिये मूल्य सम्बन्धी किसी भी जाँच के सम्बन्ध में आयोग के लिये अतिरिक्त लागत अथवा अन्य समर्थक स्टाफ, जो भी आवश्यक हो, वह सभी तुरन्त उपलब्ध कराया जाये ।	स्वीकृत । स्टाफ के प्रश्न पर सरकार ने स्थिति को नोट कर लिया है तथा वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आयोग की किसी भी माँग पर सहानुभूति के साथ विचार करेगी ।
12.	सरकार को आयोग के प्रतिवेदनों पर टैरिफ आयोग अधिनियम में दी गई अवधि, अर्थात् तीन महीने के भीतर सामान्यतः अपने विनिश्चय की घोषणा कर देनी चाहिए ।	स्वीकृत ।
13.	समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों पर अनुवर्ती प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में सरकार ने आयोग से कहा कि वह नमूने के तौर पर, इस बात की जाँच करे कि संरक्षण से वंचित दो उद्योगों को कितना संरक्षण उपलब्ध है । निर्देश की जाँच की जाये । समिति यह महसूस करती है कि अन्य संरक्षण वंचित उद्योगों के विषय में भी, जिनको समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में ऐसी जाँच के लिये सुझाया गया था वैसी ही शीघ्र जाँच कराना लाभप्रद रहेगा ।	स्वीकृत । सरकार का विचार है कि संरक्षण-वंचित उद्योगों की संरक्षण से वंचित करने के दो तीन वर्ष बाद समीक्षा करने का सिद्धान्त लाभप्रद है तथा इसे नियमित कार्यवाही के रूप में अपना लिया जाये ।
14.	आयात में हाल में दी गयी ढील तथा देश की आर्थिक स्थिति में अन्य परिवर्तनों को देखते हुए टैरिफ, योजना नीति के साधन के रूप में पुनः महत्वपूर्ण बन गये हैं ।	नोट कर ली गयी ।

1	2	3
15.	चूंकि अवमूल्यन के लाभ, आयात से मूल्यप्रतिस्पर्द्धा के रूप में उन अन्य उद्योगों को भी प्राप्त होते हैं, जिन पर अभी तक टैरिफ आयोग द्वारा जाँच नहीं की गई है, इस लिये यह आवश्यक है कि इन उद्योगों की प्रारम्भिक जाँच के विषय में अब सरकार शीघ्र कार्यवाही आरम्भ कर दे। जैसा कि समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में सुझाया गया है ऐसी जांच के आधार पर सरकार चुने हुए उद्योगों के संरक्षण के लिये उनके मामले पर विचार करने के लिये योजना आयोग भेज सकती है।	स्वीकृत। इस प्रकार की समीक्षा के लिये उद्योगों का चुनाव सरकार द्वारा विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों में किया जायेगा।
16.	संरक्षण सम्बन्धी जांचों से सरकार तथा औद्योगिक एककों, दोनों को, वर्तमान उत्पादन तथा साथ ही भावी विस्तार के सम्बन्ध में लागत कटौती नीतियों के अपनाये जाने की सम्भावना का पता लग सकेगा। आयोग द्वारा या प्रारम्भिक अथवा पुनरीक्षण जाँच के परिणामस्वरूप लगे अनुशासन से लागत की तदर्थ रूप में अथवा अव्यवस्थित वृद्धि को रोकने में स्वयं सहायता मिलेगी।	नोट कर ली गयी।
17.	संरक्षण की मंजूरी तथा संरक्षण जारी रखने अथवा उसमें परिवर्तन करने के मामलों की जाँच का उत्तरदायित्व यथापूर्व आयोग पर रहे। टैरिफ आयोग अधिनियम की धारा 11 से 16 में निहित संरक्षण सम्बन्धी वर्तमान नीति में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।	स्वीकार की गई, इस शर्त के साथ कि (1) सरकार आयोग को प्रत्येक मामला भेजने के लिये सांविधिक रूप से बाध्य नहीं होगी; (2) संरक्षण हटाने के बाद 2 से 3 वर्ष के भीतर जाँच करने की व्यवस्था नियमित रूप से की जानी चाहिये।
18.	टैरिफ आयोग से इतर एक अन्य उपयुक्त सरकारी अभिकरण द्वारा वास्तविक तथा संरक्षण वंचित उद्योगों के लागत तथा मूल्य सम्बन्धी पहलुओं पर नियमित तथा सतत आधार पर विचार किया जाना चाहिये। तथापि सरकार को पहले से ही यह अधिकार है कि वह आयोग को ऐसे उद्योग का मामला भेज सकती है जिनकी उनके विचार में, प्रतिवेदन की कंडिकाओं 95 तथा 96 में उल्लिखित ढंग से, विस्तृत जाँच करने की आवश्यकता है।	जब तक कोई अन्य अभिकरण स्थापित नहीं हो जाता, तब तक सरकार इस प्रयोजन के लिये आयोग के अनुभव तथा सहायता का उपयोग करेगी।

1	2	3
19	टैरिफ आयोग अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत आयोग में निहित स्वयं कार्यवाही करने की सभी शक्तियाँ जारी रहनी चाहिये।	इस स्पष्टीकरण के साथ स्वीकार किया गया कि इस सन्दर्भ मे "संरक्षण" शब्द से टैरिफ संरक्षण ही अभिप्रेत होगा और स्वयं कार्यवाही करने की शक्तियाँ उन उद्योगों पर लागू नही होंगी जो आयात नियंत्रण से "संरक्षित" हैं।
20	जब भी सरकार औद्योगिक उत्पादों एवं गैर-कृषिजन्य कच्चे माल के मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण लगाना चाहे तो उसे ऐसे सभी मामले जांच करके प्रतिवेदन देने के लिए टैरिफ आयोग को भेजने चाहिए। किन्तु जहां कही उत्पादन की लागत पर प्रभाव डालने वाली कुछ परिस्थितियां आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद बदल जायें, तब सरकार आयोग के अध्यक्ष से अनौपचारिक परामर्श करके मूल्यों मे संशोधन कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी विशेष मामले की परिस्थितियों से मूल्यों के सिद्धान्त निर्धारित करना अपेक्षित हो तो सरकार, एक कार्यकारी आदेश द्वारा अन्तरिम मूल्य निर्धारित कर सकती है, पर शर्त यह है कि आयोग द्वारा उसकी पुनरीक्षा की जायेगी। किसी भी मामले में मूल्य सम्बन्धी जांच का कार्य किसी तदर्थ समिति को नहीं सौंपा जाना चाहिए।	(1) सरकार सहमत है कि सामान्यतया ऐसे मामले आयोग को भेजे जाने चाहिये। किन्तु सरकार को विशेष परिस्थितियों में तदर्थ समितियां स्थापित करने की मनाही नहीं होनी चाहिए। जहां भी ऐसी तदर्थ समितियों की स्थापना आवश्यक समझी जाए, वहां ऐसी समितियों में आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को सम्मिलित करने की परम्परा बनाई जानी चाहिए। (2) सरकार सहमत है कि जहां इस प्रकार का मूल्य-निर्धारण औपचारिक जांच के बिना किया जाये, वहां आयोग के अध्यक्ष के साथ अनौपचारिक परामर्श का तरीका अपनाया जा सकता है। (3) सरकार का विचार है कि उन मामलों में, जिनमें सरकार ने औपचारिक जांच के बिना मूल्य निर्धारित कर आयोग द्वारा तत्काल कार्योत्तर दिये हों, पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं। हा, ऐसे मामलों में आवधिक पुनरीक्षण का कार्य आयोग को सौंपा जा सकता है।
21	समिति मूल्य निर्धारण में आयोग द्वारा अपनाई गई क्रिया-विधि एवं कार्य-प्रणाली से सामान्यतया सहमत है।	नोट कर ली गयी।

1	2	3
22	आयोग को उन उद्योगों का पुनरीक्षण करने में समर्थ करने के लिए स्वयं कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए जिनके उत्पादों के मूल्यों पर आयोग के पूछने के बाद, सरकार द्वारा सांविधिक नियंत्रण लगाया जाता है ।	सरकार आयोग को इस प्रकार की स्वयं कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान करना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि जब भी आवश्यक समझा जाए, आयोग से सलाह तथा सहायता मांग सकती है ।
23	एक निर्यात उद्योग की विशिष्ट समस्याओं की सम्यक जांच करने के सम्बन्ध में आयोग की विशेषज्ञता एवं अर्ध-न्यायिक स्वरूप का उपयोग करना सरकार के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है ।	स्वीकृत ।
24	सरकारी उपक्रमों की संसदीय समिति तथा सरकारी उद्यमों के ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों का पुनरीक्षण करने की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त प्रतीत होती है । किन्तु किसी भी ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का पुनरीक्षण करने की आयोग की शक्ति बनी रहनी चाहिए यदि वह ऐसे उद्योग का अंग है जिसके विषय में संरक्षण अथवा मूल्य निर्धारण के लिए जांच की जा रही हो ।	स्वीकृत । आयोग को चाहिए कि वह किसी भी रक्षा सम्बन्धी उपक्रम की जांच करने से पहले सरकार की स्पष्ट सहमति प्राप्त कर ले ।
25	यह उचित है कि सीमा-शुल्क या उत्पादन-शुल्क के निर्धारण सम्बन्धी अन्य पहलुओं का पुनरीक्षण एवं विश्लेषण करते समय वित्त मंत्रालय को, आयोग की समय-समय पर की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा अनुसरित संरक्षण नीति को ध्यान में रखना चाहिये । यदि आवश्यक हो तो संरक्षित एवं मूल्य नियंत्रित वस्तुओं की शुल्क दरें निर्धारित करने से पहले वे आयोग के अध्यक्ष के साथ परामर्श कर सकते है ।	नोट कर ली गयी ।

1	2	3
26.	लागत न्यूनीकरण सतर्कता अध्ययन एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण होते हैं जो मुद्रा-स्फीति के दबाव से प्रभावित हो, जैसे कि आज हमारे देश में दृष्टिगोचर हो रहे हैं । समिति का मत है कि इस प्रकार के अध्ययन मूल्यों पर सरकार की निगरानी के अभिन्न अंग के रूप में टैरिफ आयोग को छोड़कर अन्य किसी समुचित अभिकरण द्वारा किये जायें ।	सरकार ने इस टिप्पणी को नोट कर लिया है कि लागत न्यूनीकरण सतर्कता अध्ययन महत्वपूर्ण बन गये हैं । सरकार इस बात से सहमत है कि इस प्रकार की निगरानी रखना समुचित रूप में आयोग का कार्य नहीं है । हां, सरकार का विचार है कि सिफारिशें करते समय आयोग को भी, यथासम्भव लागत न्यूनीकरण के उपायों की सिफारिश करनी चाहिए । आयोग अपनी सिफारिशों में यह संकेत भी कर सकता है कि किसी उद्योग विशेष में ऊंची लागत किस हद तक उन कारणों से है जिन्हें उद्योग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ।
27	सरकार को अपने विभिन्न प्रभागों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे किसी भी ऐसे उद्योग से सम्बन्धित मामलों से आयोग को अवगत रखें जिसके विषय में आयोग ने जांच की है अथवा जो उद्योग उससे निकट रूप से सम्बद्ध है ।	स्वीकृत । विभाग ऐसे सभी उद्योगों से सम्बन्धित मामलों से आयोग को अवगत रखेंगे ताकि आयोग अन्य उद्योगों की अथवा इन उद्योगों की, सरकार द्वारा भविष्य में आयोग को मामला भेजे जाने की अवस्था में, जांच करते समय उन्हें ध्यान में रख सके ।
28.	समिति को आशा है कि यदि संरक्षण तथा मूल्य निर्धारण के सभी मामले सरकार द्वारा आयोग को सौंपे जायें और संरक्षण अथवा मूल्यों के मामले में, जैसी भी स्थिति हो, सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाने के उपरान्त आयोग उनकी प्रगति पर ध्यानपूर्वक और सतत निगरानी रखे तो आयोग पूर्णतः व्यस्त रहेगा । इसलिए समिति आयोग के कार्यों में और विस्तार करने के पक्ष में नहीं है ।	यद्यपि सरकार इससे सामान्यत सहमत है तथापि उसका विचार है कि टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 में एक अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी धारा रखना उपयोगी रहेगा जिससे सरकार किसी भी उद्योग से सम्बन्धित विशिष्ट मामलों की जांच का मामला आयोग को भेज सके, विशेषत: जिनमें उत्पादन-लागत अथवा उद्योग की प्रतियोगी क्षमता जैसे तत्व अन्तर्ग्रस्त हों ।
29.	आयोग के कार्य के अत्यधिक विशेषीकृत् स्वरूप को देखते हुए समिति का मत है कि टैरिफ आयोग एक सुगठित निकाय	नोट कर ली गयी ।

1	2	3
	होना चाहिए और इसकी सदस्यता पांच से अनधिक होनी चाहिए। विशेष जांचों और विशेष अवधि के लिए आवश्यकता पड़ने पर दो से अनधिक अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं जिसके लिए वर्तमान टैरिफ आयोग अधिनियम की धारा 3 में पहले ही उपबन्ध है। समिति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के पक्ष में नहीं है।	
30.	यह वांछनीय है कि टैरिफ आयोग का एक सदस्य लागत लेखाविद्या में विशेषज्ञ होना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे व्यापक प्रबन्धकीय अनुभव हो।	उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इस सिफारिश को यथा-संभव क्रियान्वित किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए टैरिफ आयोग अधिनियम में विशेष रूप से संशोधन करना अपेक्षित नहीं समझा जाता।
31.	भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पूर्वता अधिपत्र टैरिफ आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का पदमान बढ़ाया जाये। यह वांछनीय है कि टैरिफ आयोग के कार्यालय का दर्जा अधीनस्थ कार्यालय से बढ़ाकर संलग्न कार्यालय किया जाये ताकि इसकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ जाये।	इन दोनों सिफारिशों पर सरकार द्वारा और विचार किया जाएगा और ऐसे मामलों पर सामान्यतः लागू सिद्धान्तों के अनुसार विनिश्चय किये जायेंगे।
32.	यदि टैरिफ आयोग के कार्यों तथा गठन से सम्बन्धित सिफारिशें तथा अन्य सुझाव स्वीकार कर लिये गये तो वर्तमान टैरिफ आयोग अधिनियम में संगत परिवर्तन करने पड़ेंगे। जिन मोटे आधारों पर परिवर्तन किये जा सकते हैं वे प्रतिवेदन के पैरा 115 में दिखाये गये हैं।	उपयुक्त विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 का संशोधन करना आवश्यक है और यदि ऐसा करना आवश्यक हुआ तो विधि-निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाए और इसे सार्वजनिक जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० के० कोवर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968